



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231908
CG-DL-E-16122021-231908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4820]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4820]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5201(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1397 (अ) दिनांक 07.04.2016 द्वारा भूमि में उपयोग का अधिकार के अर्जन की घोषणा की थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड की संसूचना पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूखण्ड जो की, बिछायी गयी पाइपलाइन के संरक्षण के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, के डी-नोटिफिकेशन करने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

और, भारत सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त एवं संतुष्ट होकर, एतद्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोग का अधिकार के अर्जन को डी-नोटिफाइड घोषित करती है ।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : पेण	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5

1) शेडाशी

29 पै.

00

11

11

74/29 पै.

00

00

09

	74 / 30 पै.	00	12	85
2) गागोदे बुद्रुक	275	00	00	13
	270	00	00	59
	271	00	01	24
	272	00	00	99
3) पानेड	57 पै.	00	00	84
4) कामार्ली	99	00	00	94

[फा. सं. एल-14014/141/2021-जीपी-II (ई-40182)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5201(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1397 (E) dated 07-04-2016 Government of India declared acquisition of Right of User in land, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).

And whereas, the Competent Authority, on intimation from M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, submitted a report requesting to de-notify the land parcels, the schedule annexed here to, which are not falling on the final alignment where the pipeline is laid.

And whereas, Government of India after considering the said report and on being satisfied, hereby declares that the Right of User acquired mentioned in the schedule are de-notified.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Pen		District : Raigad		State: Maharashtra		
Name of Village		Survey No./Sub-Division No.		Area to be acquired for ROU		
				Hec.	Are	C-Are
1		2		3	4	5
1) Shedashi	29 Pt.			00	11	11
	74/29 Pt.			00	00	09
	74/30 Pt.			00	12	85
2) Gagode Budruk	275			00	00	13
	270			00	00	59
	271			00	01	24
	272			00	00	99
3) Paned	57 Pt.			00	00	84
4) Kamarli	99			00	00	94

[F. No. L-14014/141/2021-GP-II (E-40182)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.